न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
जी आर सं0 5779/2011
सीआईएस 102/2015
दिनांक 02.3.2024

आदेश

02.03.2024

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की तरफ से धारा 311 दं0प्रं0सं0 के आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

अभियोजन का कथन है कि मामला साक्ष्य एवं बयान पर निर्धारित है यह कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं साक्षी सं 1 भूप नारायण तिवारी के साक्ष्य के पैरा 1, 12 ,16 तथा साक्षी सं 3 रामाशीष ठाकुर के साक्ष्य के पैरा 5 की 10वीं लाईन एवं साक्षी सं 4 सावित्री देवी के पैरा नं 1 की 12वी लाईन सूचक साक्षी सं 5 के पैरा नं 4 डॉ श्याम पासवान के साक्ष्य के पैरा नं 2 और पुलिस केस डायरी के पेज नं 2 के 17वीं लाइन में राजीव कुमार और संजीव कुमार दोनों को जख्मी बताया गया है और वे प्रत्यक्षदर्शी एवं जख्मी साक्षी है यह कि दोनों ही साक्षियों का साक्ष्य न्यायहित में होना आवश्यक है अतः न्यायालय से निवेदन है कि जख्मी साक्षियों राजीव कुमार एवं संजीव कुमार का साक्ष्य लेने की कृपा करें।

प्रतिरक्षा को पर्याप्त अवसर दिया गया परंतु प्रतिउत्तर न देने के कारण दिनांक 22.01.2024 को प्रतिरक्षा का प्रतिउत्तर देने का अवसर बंद कर दिया गया ।

उभय पक्षों को सुना, वाद का अवलोकन किया । न्यायालय द्वारा अब तक हुए समस्त साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया प्रथम सूचना प्रतिवेदन का अवलोकन किया । प्रथम सूचना प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि राजीव कुमार तथा संजीव कुमार को विजय राय ने पीछे से लाठी से मारकर जख्मी कर दिया परंतु अनुसंधानकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में इन दोनों जख्मियों राजीव कुमार तथा संजीव कुमार का नाम साक्षी के रूप में वर्णित नहीं किया है । न्यायालय में उपस्थित सभी साक्षियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि राजीव कुमार और संजीव कुमार को चोट लगी । यह कि डॉ साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में संजीव कुमार वल्द नागनाथ ठाकुर के चिकित्सीय परीक्षण की बात स्वीकार की है यहां तक कि अभिलेख के साथ संलग्न रेफरल अस्पताल अरेराज के चिकित्सा पदाधिकारी को प्रस्तुत प्रतिवेदन में तत्कालिन अनुसंधानक ने संजीव कुमार का नाम जख्मी के रूप में उसका परीक्षण करने हेतु भेजा था परंतु अप्रत्याशित रूप से उन दोनों का नाम आरोप पत्र के साक्षी के सूची में नहीं आया । यह कि न्यायालय की राय में जख्मी साक्षियों का साक्ष्य होना न्यायहित में आवश्यक है अभिलेख पर इस तथ्य के प्रमाणिक साक्ष्य है कि राजीव कुमार और संजीव कुमार को चोट लगी अतः न्यायहित में न्यायालय अभियोजन के दिनांक 15.09.22 के आवेदन को **स्वीकार करती है और अभियोजन को निर्देश दिया जाता है कि वह अग्रिम तिथि से साक्ष्य हेतु उन दोनों जख्मियों को न्यायालय में प्रस्तुत करें।** वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

मनीष कुमार पाण्डेय
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।